

आयकर विभाग	¹प्ररूप संख्या 15गक (नियम 37खख देखें) किसी अनिवासी, जो कोई कंपनी न हो, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय हेतु दी जाने वाली जानकारी	अभिस्वीकृति संख्या

भाग क

(यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन विप्रेषण पर कर प्रभार्य और, यथास्थिति, विप्रेषण या ऐसे प्रेषणों का कुल योग वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रुपये से अनधिक हो तो भरा जाए)

विप्रेषणक	विप्रेषणकर्ता का नाम	
	विप्रेषणकर्ता का ² [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] (यदि उपलब्ध हो)	
	विप्रेषणकर्ता का टीएएन (यदि उपलब्ध हो)	
	विप्रेषणकर्ता का पूरा पता, ई-मेल, और दूरभाष संख्या	
	विप्रेषणकर्ता की हैसियत ¹	
	विप्रेषणकर्ता की आवासीय हैसियत ²	
प्रेषिती	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम	
	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का ² [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] (यदि उपलब्ध हो)	

	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का पूरा पता, ई-मेल ⁴ , दूरभाष संख्या ⁵	
	जिस देश को विप्रेषण किया गया है	
विप्रेषण	टीडीएस (भारतीय मुद्रा में) से पूर्व संदय रकम	
	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए प्रेषणों की कुल रकम, जिसके अंतर्गत ये प्रस्तावित विप्रेषण है	
	बैंक का नाम	
	बैंक की शाखा का नाम	
	विप्रेषण की प्रस्तावित तारीख	
	विप्रेषण की प्रकृति	
	कृपया आरबीआई के अनुसार सुसंगत प्रयोजन कोड दे	
	टीडीएस की रकम	
	टीडीएस की दर	
	कटौती की तारीख	

सत्यापन

मैं/हम*..... (साफ अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री (पदनाम) की हैसियत से, सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है। मैं/हम* आयकर प्राधिकारियों को उपरोक्त विप्रेषण के प्राप्त करता की आय की प्रकृति और रकम के साथ स्रोत पर आयकर अधिनियम के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में मेरे दायित्व का अवधारण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को अवधारित करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को समर्थ बनाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का और वचनबध करता हूँ/करते हैं।

1. आय-कर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2015 द्वारा **1.4.2016** से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व प्ररूप सं. 15गक, आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2009 द्वारा 1.7.2009 से अंतःस्थापित और आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2013 द्वारा 1.10.2013 से प्रतिस्थापित। [आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2013 द्वारा आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2013 से अतिष्ठित कर दिया गया है।]
2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अनिवासी को संदाय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

अनिवासी को संदाय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

तारीख:

*जो लागू न हो उसे काट दें।

¹यदि कंपनी हो तो 1, यदि फर्म हो तो 2, यदि व्यष्टि हो तो 3 और यदि अन्य हो तो 4 लिखें।

²कंपनी की दशा में, यदि देशीय कंपनी हो तो 1, यदि विदेशी कंपनी, कंपनी से अन्यथा व्यक्ति की दशा में हो तो 2, यदि निवासी है तो 3, यदि अनिवासी हो तो 4 लिखें।

3. ²[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] की अनुपलब्धता की दशा में, धारा 206कक के उपबंध लागू होंगे।

⁴यदि उपलब्ध हो।

⁵यदि उपलब्ध हो।

भाग ख

(यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन विप्रेषण पर कर प्रभार्य और, यथास्थिति, विप्रेषण या ऐसे प्रेषणों का कुल योग वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रुपये से अनधिक हो और आयकर अधिनियम की धारा 195(2)/195(3)/197 के अधीन कोई आदेश/प्रमाणपत्र निर्धारण अधिकारी से अभिप्राप्त किया गया हो, तो भरा जाए)

विविप्रेषणकर्ता	विविप्रेषणकर्ता का नाम		
	विविप्रेषणकर्ता का ² [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]		
	विविप्रेषणकर्ता का टीएएन ¹		
	विविप्रेषणकर्ता का पूरा पता, ई-मेल, और दूरभाष संख्या		
	विविप्रेषणकर्ता की हैसियत ²		
	विविप्रेषणकर्ता की आवासीय हैसियत ³		
प्रेषिती	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम		
	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का ² [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] (यदि उपलब्ध हो) ⁴		
	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का पूरा पता, ई-मेल ⁵ , दूरभाष संख्या ⁶		
ए.ओ. आदेश	धारा जिसके अधीन आदेश/प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है		
	निर्धारण अधिकारी जिसमें आदेश/प्रमाणपत्र जारी किया है, का नाम और पता		
	आदेश/प्रमाणपत्र की तारीख		
	आदेश/प्रमाणपत्र संख्या		
विप्रेषण	जिस देश को विप्रेषण किया गया है	देश:	मुद्रा:
	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में:	भारतीय रुपये में
	बैंक का नाम	बैंक की शाखा	
	बैंक शाखा का बीएसआर कोड (7 अंकों में)		(दद/मम/वववव)
	विप्रेषण की प्रस्तावित तारीख		
	करार करार दस्तावेज के अनुसार विप्रेषण की प्रकृति		
	कृपया आरबीआई के अनुसार सुसंगत प्रयोजन को दें		
	टीडीएस की रकम		
	टीडीएस की दर		
	कटौती की तारीख		

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

सत्यापन

मैं/हम* (साफ अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री (पदनाम) की हैसियत से, सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है। मैं/हम* प्रमाणित करता हूँ/करते हैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195(2)/195(3)/197 के अधीन कोई प्रमाणपत्र/आदेश, जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में दी गई हैं, अभिप्राप्त किया गया है। मैं/हम* आयकर प्राधिकारियों को उपरोक्त विप्रेषण के प्राप्त करता की आय की प्रकृति और रकम के साथ स्रोत पर आयकर अधिनियम के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में मेरे दायित्व का अवधारण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को अवधारित करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को समर्थ बनाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का और वचनबध करता हूँ/करते हैं।

.....
अनिवासी को संदाय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

.....
अनिवासी को संदाय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

तारीख:

*जो लागू न हो उसे काट दें।

¹यदि टीएएन के लिए आवेदन किया गया है, तो कृपया आवेदन की अभिस्वीकृति संख्या दें।

²यदि कंपनी है तो 1, यदि फर्म है तो 2, यदि व्यक्ति है तो 3, और यदि अन्य है तो 4 लिखें।

³कंपनी की दशा में, यदि देशीय कंपनी हो तो 1, यदि विदेशी कंपनी, कंपनी से अन्यथा व्यक्ति की दशा में हो तो 2, यदि निवासी है तो 3, यदि अनिवासी हो तो 4 लिखें।

²[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] की अनुपलब्धता की दशा में, धारा 206कक के उपबंध लागू होंगे।

⁵यदि उपलब्ध हो।

4. ⁶यदि उपलब्ध हो।

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूललक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग ग

(भरा जाना है, यदि विप्रेषणादेश आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभाय है और यथास्थिति, विप्रेषणादेश या ऐसे विप्रेषणादेशों का समय वित्त वर्ष के दौरान पांच लाख रुपए से अधिक हो जाता है तथा धारा 228 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथाविनिर्दिष्ट किसी लेखाकार से प्ररूप सं. 15गख में एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है)

भाग क	साधारण सूचना													
	विप्रेषणकर्ता का नाम													
विप्रेषणकर्ता	विप्रेषणकर्ता का 2[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]										क्षेत्र कूट	एओ किस्म	रेंज कूट	एओ सं.
	कारबार का प्रधान स्थान										विप्रेषणकर्ता का टेन ¹			
	विप्रेषणकर्ता का पूरा पता, ई-मेल और फोन नंबर													
	प्रास्थिति ²			विप्रेषणकर्ता की आवासीय प्रास्थिति ³										
विप्रेषणकर्ता	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम										विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का 2[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]			
	प्रास्थिति ⁵													
	पता										वह देश, जिसको विप्रेषण किया गया :			
	कारबार का प्रधान स्थान										ई-मेल पता			
											(आईएसडी कूट)-फोन नंबर			
											()			
लेखाकार	(क)	प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लेखाकार का नाम ⁶												
	(ख)	स्वत्वधारी/फर्म के लेखाकार का नाम												
	(ग)	पता												
	(घ)	लेखाकार का रजिस्ट्रीकरण सं.												
	(ङ)	जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष)										प्रमाणपत्र सं. ⁷		
ए.ओ. आदेश	(क)	क्या निर्धारण अधिकारी से आयकर अधिनियम की धारा 195(2)/195(3)/197 के अधीन कोई आदेश अभिप्राप्त किया गया है										(निशान लगाएं) ? हां ? नहीं		
	(ख)	धारा, जिसके अधीन आदेश/प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है												
	(ग)	उस निर्धारण अधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश/प्रमाणपत्र जारी किया है												
	(घ)	आदेश/प्रमाणपत्र की तारीख												
	(ङ)	आदेश/प्रमाणपत्र संख्या												

2. आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग ख		विविप्रेषण और टीडीएस की विशिष्टियाँ (लेखकार के प्रमाणपत्र के अनुसार)		
विविप्रेषण	1.	वह देश, जिसकी विविप्रेषण किया गया है	देश:	मुद्रा:
	2.	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में:	भारतीय रुपए में
	3.	बैंक का नाम	बैंक की शाखा	
	4.	बैंक शाखा की बीआर कूट (7 अंक)		
	5.	विविप्रेषण की प्रस्तावित तारीख	(दिन/मास/वर्ष)	
	6.	करार/दस्तावेज के अनुसार विविप्रेषण की प्रकृति		
	7.	आरबीआई के अनुसार सुसंगत प्रयोजन कूट		
	8.	विविप्रेषण के करों का कुल होने की दशा में क्या संदेय कर को सकल किया गया है	(निशान लगाएं) ? हां ? नहीं	
आयकर अधिनियम	9.	आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर देयता (डीटीएए पर विचार किएबिना)		
		(क) अधिनियम की सुसंगत धारा, जिसके अधीन विविप्रेषण आता है		
		(ख) कर से प्रभाय आय की रकम		
		(ग) कर दायित्व		
		(घ) करादेय आय और कर दायित्व के अवधारण का आधार		
डीटीएए	10.	यदि अनुतोष का डीटीएए के अधीन दावा किया गया है तो-	(निशान लगाएं) ? हां ? नहीं	
		(i) क्या विविप्रेषण के प्राप्तकर्ता से निवास का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है		
		(ii) कृपया सुसंगत डीटीएए को विनिर्दिष्ट करें		
		(iii) कृपया डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करें		
			डीटीएए के अनुसार संदाय की प्रकृति	
		(iv) डीटीएए के अनुसार करादेय आय	भारतीय रुपए में	
		(v) डीटीएए कर दायित्व	भारतीय रुपए में	
		अ. यदि विविप्रेषण स्वामिस्व तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज, लाभांश आदि के विविप्रेषण (स्थायी स्थापना से असंबद्ध) के लिए है तो कृपया इंगित करें:-	(निशान लगाएं) ? हां ? नहीं	

		(क) डीटीए का अनुच्छेद		
		(ख) लागू डीटीए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों में कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की दर	डीटीए के अनुसार (%)	
		आ. विविप्रेषण के कारबार आय के लेखें होने की दशा में कृपया इंगित करें:-	(निशान लगाएं) ? हां ? नहीं	
		(क) भारत में कर से दायी आय की रकम		
		(ख) कर की कटौती की दर निश्चित करने का आधार		
		इ. पूंजी अभिलाभों के लेखें विविप्रेषण की दशा में कृपया इंगित करें:-	(निशान लगाएं) ? हां ? नहीं	
		(क) दीर्घाविधि पूंजी अभिलाभ की रकम		
		(ख) लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की रकम		
		(ग) कराधेय आय निश्चित करने का आधार		
		ई. अन्य विविप्रेषण की दशा में, जो उपमद अ, आ और इ के अधीन नहीं आता है	(निशान लगाएं) ? हां ? नहीं	
		(क) कृपया विविप्रेषण की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें		
		(ख) क्या डीटीए के अनुसार भारत में कराधेय है		
		(ग) यदि हां, लागू डीटीए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों में कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की दर		
		(घ) यदि नहीं तो कृपया डीटीए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करते हुए उसके संक्षिप्त कारण प्रस्तुत करें		
टीडीएस	11.	स्रोत पर कटौती किए गए कर की रकम	विदेशी मुद्रा में	
			भारतीय रुपए में	
	12.	टीडीएस की दर	आयकर अधिनियम के अनुसार (%) या डीटीए के अनुसार (%)	
	13.	टीडीएस के पश्चात् विविप्रेषण की वास्तविक रकम	विदेशी मुद्रा में	
	14.	स्रोत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हो	(दिन/मास/वर्ष)	

सत्यापन

1. मैं/हम* (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री की क्षमता में (पदनाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा किसी सुसंगत सूचना को छिपाया नहीं गया है। मैं/हम* प्रमाणित करते हैं कि लेखाकार से एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में दी गई हैं जो स्रोत पर कर कटौती की रकम, प्रकृति और शुद्धता को प्रमाणित करता है। जहां यह पाया गया है कि विविप्रेषण की रकम पर वास्तव में कटौती किए जाने वाले कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती किए जाने के पश्चात् संदत्त नहीं किया गया है या पूर्णतया संदत्त नहीं किया गया है, मैं/हम* उक्त व्यक्तिक्रम के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार शास्ति का भी दायी होंगे। मैं/हम* आयकर प्राधिकारियों को उपरोक्त विविप्रेषण के प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम का अवधारण करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधारण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को स्रोत पर कर की कटौती के उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का भी वचनबध करते हैं।

स्थान: अनिवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: अनिवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

*जो लागू न हो उसका लोप कर दें।

¹टीएएन के लिए आवेदन करने की दशा में कृपया आवेदन की अभिस्वीकृति संख्या प्रस्तुत करें।

²यदि कंपनी है तो 1 लिखें, फर्म है तो 2 लिखें, व्यष्टिक है तो 3 लिखें और अन्य के लिए 4 लिखें।

³कंपनी की दशा में घरेलू कंपनी की दशा में 1 लिखें, विदेशी कंपनी के लिए 2 लिखें, कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में 3 लिखें, निवासी है तो 4 लिखें और अनिवासी की दशा में 5 लिखें।

²[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] की अनउपलब्धता की दशा में धारा 206कक के उपबंध लागू होंगे।

⁵कंपनी की दशा में 1 लिखें, फर्म की दशा में 2 लिखें, व्यष्टि की दशा में 3 लिखें और अन्य की दशा में 4 लिखें।

⁶लेखाकार का वहीं अर्थ होगा, जो उसका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में है।

⁷कृपया क्रम सं. को लेखकार के प्रमाणपत्र में यथावर्णित भरें।

भाग घ

[भरा जाना है, यदि विविप्रेषण नियम 37खख(2) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अधीन (नियम 37खख(3) में निर्दिष्ट संदाय से भिन्न) कर से प्रभार्य नहीं है]

विविप्रेषणकर्ता	विविप्रेषणकर्ता का नाम		
	प्रेषिती का ² [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक], यदि उपलब्ध हो		
	प्रेषिती का टेन, यदि उपलब्ध हो		
	विविप्रेषिती का पूरा पता, ई-मेल, और फोन नंबर		
	विविप्रेषिती की प्रास्थिति ¹		
	विविप्रेषिती की आवासीय प्रास्थिति ²		
प्रेषिती	विविप्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम		
	विविप्रेषण के प्राप्तकर्ता का ² [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक], यदि उपलब्ध हो		
	विविप्रेषण के प्राप्तकर्ता का पूरा पता, ई-मेल और फोन नंबर		
	वह देश जहाँ विविप्रेषण किया गया है	देश:	मुद्रा:
	वह देश, जिसका विविप्रेषण का प्राप्तकर्ता निवासी है, यदि उपलब्ध हो		
विविप्रेषण	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में:	भारतीय रुपए में
	बैंक का नाम	बैंक की शाखा का नाम	
	बैंक शाखा का बीएसआर कोड (7 अंक)		
	विविप्रेषण की प्रस्तावित तारीख	(दिन/मास/वर्ष)	
	विविप्रेषण की प्रकृति		
	कृपया आरबीआई के अनुसार सुसंगत प्रयोजन कूट प्रस्तुत करें		

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऊपर दिया गया विविप्रेषण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभाय नहीं है और स्रोत पर कर की कटौती करने का दायी नहीं है।

सत्यापन

1. मैं/हम* (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री की क्षमता में (पदनाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा किसी सुसंगत सूचना को छिपाया नहीं गया है। जहां यह पाया गया है कि विविप्रेषण की रकम पर वास्तव में कटौती किए जाने वाले कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती किए जाने के पश्चात् संदत्त नहीं किया गया है या पूर्णतया संदत्त नहीं किया गया है, मैं/हम* उक्त व्यतिक्रम के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार शास्ति का भी दायी होंगे। मैं/हम* आयकर प्राधिकारियों को उपरोक्त विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता की आय की प्रकृति और रकम का अवधारण करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधारण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को स्रोत पर कर की कटौती के उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का भी वचनबध करते हैं।

.....
अनिवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

.....
तारीख: अनिवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

*जो लागू न हो उसे लोप कर दें।

¹यदि कंपनी है तो 1 लिखें, फर्म हैं तो 2 लिखें, व्यष्टिक है तो 3 लिखें और अन्य के लिए 4 लिखें।

²कंपनी की दशा में घरेलू कंपनी की दशा में 1 लिखें, विदेशी कंपनी के लिए 2 लिखें, कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में 3 लिखें, निवासी है तो 4 लिखें और अनिवासी की दशा में 5 लिखें।

³यदि उपलब्ध।

⁴यदि उपलब्ध।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए	केवल कार्यालय उपयोग के लिए प्राप्ति संख्या तारीख प्राप्त करने वाले अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर
----------------------------	--